राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प.17(6)कार्मिक/क–2/2026–33485 जयपुर दिनांक: 15 JUL 2026

परिपत्र

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)

विषयः– दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों के संबंध में दिशा–निर्देश।

दिव्यांग प्रमाण पत्रों के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

मा. उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन न. 6021/2026 अमन बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 30.04.2026 को दिये गये अंतरिम आदेश की पालना के संबंध में दिव्यांगजन प्रमाण पत्रों में आ रही विसंगति हेतु समुचित निर्णय के क्रम में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. चिकित्सा विभाग द्वारा सभी सात संभागीय मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर) के मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध हॉस्पिटल के प्रिंसीपल या अधीक्षक (Medical Superintendent) द्वारा दिव्यांगता की जांच के लिए एक दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड (Disability Verification Board) गठित किया जाएगा (जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे उच्च पद के डॉक्टर होंगे)। ये सभी मेडिकल कॉलेज आवश्यक मानक उपकरणों (standard equipment) से सुसज्जित होंगे, जो सभी तरह की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी राजपत्र में निर्दिष्ट किया हुआ है।

2. संबद्ध दिव्यांगता को सत्यापित करने के लिए मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल में आवश्यक सभी संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे।

3. संभागीय मुख्यालय स्तर के मेडिकल कॉलेज/संबद्ध हॉस्पिटल के ऊपर एडिशनल प्रिंसिपल/मेडिकल अधीक्षक की अध्यक्षता में एक अपीलीय सत्यापन मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। अपीलीय बोर्ड के सदस्य प्रारम्भिक सत्यापन बोर्ड (Initial Verification Board) के सदस्य से उच्च पद धारित होंगे।

4. भर्ती एजेन्सी और नियुक्तिकर्ता विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन करते समय सभी आवेदकों के पास वैध UDID (Unique Disability Indentification) कार्ड हो। प्रक्रियाधीन भर्ती और आगामी भर्तियों में, भर्ती संस्था, विज्ञापन में यह आवश्यक रूप से अंकित करेगी कि दिव्यांगजन श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए आवेदन करने वालों में से दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता का सत्यापन, संभागीय मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग द्वारा उक्तानुसार गठित बोर्ड द्वारा किया जाएगा। दिव्यागंता सत्यापन वर्तमान प्रचलित मानक के अनुसार ही किया

RajKaj Ref No.:
23301595

Digitally signed by
ARCHANA SINGH
Designation: Secretary To Government
Date: 2026-07-15 17:18:01 IST
v-1.0

17/2026

जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले से ही प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, तो भी उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित मानक के अनुसार जांच के बाद गठित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावेगा।

अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी संभागीय मुख्यालय स्तर पर गठित दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड (Disability Verification Board) द्वारा जांच के बाद जारी प्रमाण–पत्र से व्यथित/असंतुष्ट है, तो वह चिकित्सा विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय पर गठित अपीलीय बोर्ड में अपील कर सकेगा।

5. कार्मिक विभाग के निर्देशों के तहत राज्य सरकार में पूर्व से कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए किए जा रहे पुनः सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, अगर पहले जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रतिशतता में अंतर के मामले पाए जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की योग्यता का निर्धारण राजकीय सेवा में चयन के समय प्रचलित दिव्यांगता मेडिकल मानकों के आधार पर किया जावेगा।

अगर कोई कर्मचारी दिव्यांगता के पुनः सत्यापन से असंतुष्ट है, तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा विभाग द्वारा संभाग स्तर पर बनाए गए अपीलीय बोर्ड (Appellate Board) के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालय में दिव्यांगजन सत्यापन बोर्ड (Disability Verification Board) एवं अपीलीय बोर्ड (Appellate Board) का गठन किया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिक स्पष्टता के लिए आवश्यक होने पर विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक् से जारी किये जावेंगें।

(अर्चना सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
8. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
11. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकरण।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
23301595

Digitally signed by
ARCHANA SINGH
Designation: Secretary To Government
Date: 2026-07-15 17:18:01 IST

v-1.0